न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (I.A.S)
प्रकरण संख्या : 12/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 06.02.2026 निर्णय दिनांक : 21.04.2026

उनवान

1. शीशराम पुत्र ओंकार जाति जाट, निवासी ग्राम भांकरी, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।
2. भागीरथ पुत्र सुण्डाराम,
3. तीजा देवी पत्नी गुल्लाराम,
4. सुनीता पुत्री गुल्लाराम,
5. बलबीर पुत्र गुल्लाराम,
6. महेन्द्र पुत्र गुल्लाराम,
7. मालीराम पुत्र गुल्लाराम,
8. धूडाराम पुत्र सुण्डाराम,
9. लीलाराम पुत्र सुण्डाराम,
10. मोहरा पत्नी सुण्डाराम,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भांकरी, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

पस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्रीमती संजू यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री देवेन्द्र कुमार आर्य अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 02, की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष वाद संख्या 08/2025 बउनवानी भागीरथ बनाम कमलेश वगै0 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार आर्य ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर बहस करना जाहिर किया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त अनुवानी प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी भागीरथ बनाम कमलेश वगैरह. मुकदमा नम्बर 08/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में विचाराधीन हैं। प्रार्थी भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और प्रार्थी ऐलानियां कह रहा है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा से हमारी बात हो गई है तथा हमारे पक्ष में फैसला करेगे तथा तुम्हारी भूमि में से रास्ता लेकर रहेगे। प्रार्थी द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से मिन प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मिन प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा। प्रार्थी/वादी की भूमि खसरा नम्बर 2563/1306/0.5420 वाके मौजा भांकरी, तहसील पावटा में आने जाने का रास्ता पूर्व से ही मौजूद है जो प्रार्थी/वादी की भूमि के बतरफ पूर्वी व दक्षिणी ओर स्थित है जिसके खसरा नम्बर 2562/1306/0.018 व 2560/1305 है जो आगे चलकर गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 2568/1315 से होता हुआ आगे तक जाता है जिससे होकर ही वादी / प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता है। लेकिन फिर भी पटवारी हल्का से साज बाज होकर मिन प्रार्थी की भूमि 1290,

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

1307, 1291 वाके मौजा मौजा भांकरी तहसील पावटा रास्ता लेने के लिये प्रस्तावित रिपोर्ट बनवाई है। यह बात मिन प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा को भी बताई तो उन्होने कहा कि तुम्हारी भूमि में से रास्ता निकालेगे। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी पावटा से मिन प्रार्थी को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी भागीरथ बनाम कमलेश वगैरह, मुकदमा नम्बर 08/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तलिक किये जाने के आदेश प्रदान करे ।

5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तर्को का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बउनवानी भागीरथ बनाम कमलेश वगैरह, मुकदमा नम्बर 08/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन होना स्वीकार है। मिन अप्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 2563/1306/0.5420 वाके मौजा भांकरी, तहसील पावटा की भूमि में खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने–जाने का कोई रास्ता वर्तमान में रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियमानुसार एवं विधिवत् पेश किया है, जो आपत्ति/बहस रास्ता रिपोर्ट की बहस हेतु विचाराधीन है। जिसकी बहस से प्रार्थी बचना चाहता है और प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब देरी करने की नियत से झूठे तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। पत्रावली पर ऐसी कोई अनियमितता नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल मुकदमा मय हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने पत्रांक कोर्ट/2026/71 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप बेबुनियाद, मनगढंत व निराधार है। न्यायालय में प्रकरण के निस्तारण हेतु विधिवत् कार्यवाही जैरकार है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी पावटा को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/4/26

(अर्पणा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़